

## न्यायालय जिला कलक्टर, बारां (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी—श्री नरेन्द्र गुप्ता आई०ए०एस०

प्रकरण संख्या— 21/2021

बउनवान

रामगोपाल पुत्र घांसीलाल उम्र 35 वर्ष जाति गुर्जर, निवासी खेडली केशो, तहसील व जिला बारां (राज०) (अपीलांट)

बनाम

राजस्थान सरकार जयें तहसीलदार, बारां जिला बारां (राज०) (रेस्पोंडेंट)



अपील धारा-75 भू राजस्व अधिनियम, 1956

उपस्थिति :-1. श्री जितेन्द्र नागर, अभिभाषक (अपीलांट)  
2. परोकार सरकार (रेस्पोंडेंट)

निर्णय दिनांक— 18.10.2022

अपीलांट ने जयें अभिभाषक अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, बारां के आदेश दिनांक 12.10.2020 से अप्रसन्न होकर अपील, धारा-75 भू राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत इस आशय की पेश की है कि अधीनस्थ न्यायालय ने उसे ग्राम खेडली केशो तहसील बारां की आराजी खसरा नम्बर 271 रकबा 0.80 है., किस्म-चारागाह पर अतिक्रमी मानकर 400 /- रुपये अर्थदण्ड एवं 60 दिन के सिविल कारावास की सजा से दंडित किया गया है।

अपीलांट ने अपील में अंकित किया है कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय पत्रावली पर विद्यमान तथ्यों एवं दस्तावेजों के विपरीत होने से निरस्तनीय है। विवादित आराजी अपीलांट की आराजी के लगवां खाली भूमि पड़ी हुई है, जिस पर अप्राथी द्वारा फसल तैयार की है, उक्त विवादित आराजी वर्तमान में भी खाली है, खाली भूमि पर फसल तैयार करना अतिक्रमण की श्रेणी में नहीं आता है। अपीलांट ने न्यायालय द्वारा आरोपित जुर्माना जमा करवा दिया है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 12.10.2020 निरस्त किया जावें।

इस पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोंडेंट को जयें सम्मन तलब किया तथा अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख तलब किया गया। अभिलेख प्राप्त होने पर विद्वान अभिभाषक अपीलांट व परोकार सरकार की बहस हेतु नियत की



जिला कलक्टर  
बारां (राज०)

दौराने बहस अभिभाषक अपीलांट उपस्थित नहीं हुए। ऐसी स्थिति में हमने परोकार सरकार की एकपक्षीय बहस समाप्त कर प्रकरण का गुणावगुण के आधार पर निस्तारण करने का विनिश्चय किया।

दौराने एकपक्षीय बहस परोकार सरकार ने अपील में अंकित तथ्यों का खण्डन करते हुये निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को विधिवत सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर उक्त निर्णय पारित किया है। अपील में अपीलांट द्वारा स्वयं माना है कि खाली पड़ी विवादित आराजी पर उसके द्वारा फसल तैयार की गयी है। अपीलांट विवादित आराजी पर पश्चात्वर्ती अतिक्रमी रहा है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को उक्त आराजी पर पूर्व में अतिचार करने पर मिसल नम्बर 26 निर्णय दिनांक 28.01.2020 से बेदखल किया गया है। अतः अपील खारिज फरमायी जावे।

हमने एकपक्षीय बहस परोकार सरकार की सुनी तथा पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का आद्योपांत अवलोकन किया तथा गुणावगुण के आधार पर पाया जाता है कि अपील में अंकित बिन्दुओं द्वारा अपीलांट स्वयं ने स्वीकार किया है कि उसने विवादित आराजी पर फसल तैयार की है। तथा विवादित आराजी पर अपीलांट पश्चात्वर्ती अतिक्रमी रहा है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को प्रश्नगत आराजी ख0नं0 271 रकबा 0.80 है0 ग्राम खेडली केशो पर सम्वत् 2076 में भी अतिक्रमण किया था जिसे मिसल नम्बर 265 में पारित निर्णय दिनांक 28.01.2020 से बेदखल किया जाना प्रमाणित है। इससे स्पष्ट होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को विवादित आराजी पर पश्चात्वर्ती अतिक्रमी पाये जाने पर ही सजायाब करने का आदेश पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय में कोई विधिक त्रुटि होना नहीं पाया जाता है।

परिणामस्वरूप, अपीलांट की अपील सारहीन होने से खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, बारां द्वारा प्रकरण संख्या 1234/2020 में पारित आदेश दिनांक 12.10.2020 यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 18.10.2022 को सरे इजलास लिखाया जाकर सुनाया



(नरेन्द्र गुप्ता)  
जिला कलेक्टर,  
बारां (राज०)